(164)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम.के. सिंह,

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 608–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–3–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 663/11–12/अपील.

------

1. द्वारका प्रसाद सेठ पुत्र स्व. श्री मन्नीलाल सेठ
निवासी 18 गोपाल नीखरा, झांसी उ0प्र0

2– डॉ0 ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री मन्नीलाल सेठ
निवासी 1 ए आवास विकास कॉलोनी,
नन्दनपुरा, झांसी उ.प्र.

3– अशोक कुमार सेठ पुत्र श्री मन्नीलाल सेठ
निवासी 54 गोपाल नीखरा, झांसी उ.प्र.

4– डॉ0 चन्द्र प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री मन्नीलाल सेठ
निवासी एन 7 चेतकपुरी,
ग्वालियर म.प्र.

5– आनन्द प्रकाश सेठ पुत्र श्री मन्नीलाल सेठ
निवासी सुभाषगंज झांसी उ0प्र0 .... आवेदकगण

बनाम

1. रमेश सिंधी पुत्र श्री मगनमल सिंधी
2. मोहनलाल सिंधी पुत्र श्री मगनमल सिंधी
निवासी रिछरा फाटक
हाल निवासी – रामनगर झांसी रोड, दतिया
जिला दतिया म0प्र0 .... अनावेदकगण

श्री एस. के. वाजपेई, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री आर. एस. सेंगर, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 20 – 5 – 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदन पत्र म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल

अधिनियम कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 663/11–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 11–3–15 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रामनगर तहसील दतिया स्थित विवादित भूमि सर्वे नं. 382/2 रकबा 1.943 हैक्टर भूमि पर पटवारी द्वारा अनावेदकों के विरूद्ध वर्ष 96–97 में अतिकमण रिर्पोट पेश की गई । उक्त रिर्पोट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार द्वारा अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा प्रकरण में साक्ष्य आदि लेकर आदेश दिनांक 20–4–1998 द्वारा उक्त भूमि पर संहिता की धारा 190/110 के तहत अनावेदकों का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करने के आदेश दिए । तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 20–4–98 के विरूद्ध आवेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 30–9–2002 को अपील प्रस्तुत की । बाद में उक्त अपील को कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेने के कारण तथा कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आयुक्त के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने के कारण दिनांक 5–10–04 की आदेश पत्रिका के अनुसार स्थगित रखे जाने के आदेश दिए गए ।

तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–98 को 4 वर्ष उपरांत कलेक्टर, दतिया द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट के आधार स्वमेव निगरानी में लिया जाकर कार्यवाही की गई एवं उभयपक्षों को सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 25–10–05 द्वारा स्वमेव निगरानी की कार्यवाही समाप्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा राजस्व मंडल में निगरानी कमांक 1960–एक/05 प्रस्तुत की जो राजस्व मंडल ने आदेश दिनांक 10–1–2007 द्वारा विस्तृत विवेचना उपरांत तहसीलदार एवं कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करते हुए निगरानी निरस्त की गई । इस आदेश को कोई चुनौती आवेदकों द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में नहीं दी गई है ।

राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश के उपरांत 5 वर्ष तक अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । दिनांक 26–3–12 को आवेदकों की ओर से राजस्व मंडल के आदेश को छिपाते हुए इस आशय का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अब कोई प्रकरण किसी न्यायालय में लंबित नहीं हैं और आवेदकगण सभी न्यायालय में सफल हुए हैं अतः उक्त अपील को नंबर पर लिये जाने की कृपा करें । आवेदकों की ओर से प्रस्तुत

उक्त आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की एवं राजस्व मंडल के आदेश को पूर्णतया अनदेखा करते हुए आवेदकों द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–98 के विरूद्ध प्रस्तुत समयावधि बाह्य अपील को आदेश दिनांक 31–7–12 द्वारा स्वीकार की एवं तहसीलदार का आदेश निरस्त किया तथा कलेक्टर के आदेश दिनांक 11–9–78 के परिपालन में मन्नीलाल की मृत्यु हो जाने के कारण आवेदकगण का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज करने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया तथा उन्हें प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अंतरिम आवेदन क्रमशः आदेश 6 नियम 17, आदेश 41 नियम, 27 एवं अवधि विधान की धारा 5 का निराकरण कर उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रकरण का में आदेश पारित करने की न्यायोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है क्योंकि संहिता में हुए संशोधन दिनांक 30–12–11 के उपरांत उन्हें प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं है, उन्हें गुणदोष पर आदेश पारित करना चाहिए था ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों के पिता ने अनावेदकों को प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय नहीं किया है, और ना ही पट्टे पर दिया है अनावेदकों ने कूट रचित दस्तावेज द्वारा राजस्व अभिलेख में अपने नाम की प्रविष्टि कराई है इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की थी ।

यह तर्क दिया गया कि जहां तक कलेक्टर, दतिया द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रारंभ की गई स्वमेव निगरानी की कार्यवाही का प्रश्न है, उसमें कलेक्टर ने यह मान्य किया है कि नायब तहसीलदार ने जो जांच प्रतिवेदन दिया है उसका पूर्व परीक्षण नहीं किया गया प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य विवाद है इसमें शासन का कोई हित नहीं है । कलेक्टर के इसी आदेश को राजस्व मंडल ने पुष्ट किया है अतः कलेक्टर एवं राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेशों से प्रकरण के गुणदोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

यह तर्क दिया गया कि तहसीलदार दतिया द्वारा दिनांक 3–10–74 को कलेक्टर, जिला दतिया को प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 27–2–75 को प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की गई, जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के यहां निगरानी पेश हुई जो उन्होंने आदेश दिनांक 28–8–75 द्वारा इस आशय से प्रत्यावर्तित हुई कि आवेदक को सुनने के उपरांत आदेश पारित किया जाये । तदुपरांत कलेक्टर ने कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 11–9–78 द्वारा तहसीलदार, दतिया की रिपोर्ट दिनांक 3–10–74 निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के पिता मन्नीलाल का नाम लिखे जाने के आदेश दिये । अतः अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को वैधानिक न होना मानकर कलेक्टर के 11–9–78 के आदेश के आधार पर आवेदकों का नाम दर्ज किये जाने का जो आदेश दिया है वह उचित है ।

यह भी तर्क दिया गया है कि जिस इकरारनामा दिनांक 1–3–88 का आधार अनावेदकों द्वारा लिया गया है उस पर आवेदकों के पिता के हस्ताक्षर फर्जी हैं, और उक्त इकरारनामा के आधार पर अनावेदकों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । तहसील न्यायालय की सारी कार्यवाही दोषपूर्ण है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित है, जिसे स्थिर रखा जाना चाहिए ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी राव राजा जसवंतसिंह थे लेकिन प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकों के पिता मघनमल भू–राजस्व संहिता, 1959 लागू होने के पूर्व से ही काबिज थे । अनावेदकों के पिता मघनमल द्वारा राव राजा जसवंत सिंह से उक्त भूमि क्रय करने का अनुबंध दिनांक 5–1–58 को किया गया । कुछ पैसे कम होने के कारण मघनमल द्वारा 17000/– रूपये आवेदकों के पिता मन्नीलाल से उधार लिये थे । दिनांक 13–8–62 को संपूर्ण भूमि का बयनामा अनावेदकों के पिता मघनमल की सहमती से राव राजा द्वारा मन्नीलाल के नाम कराया गया साथ ही एक इकरारनामा भी मघनमल एवं मन्नीलाल के मध्य दिनांक 13–8–62 को हुआ कि मात्र सुरक्षा की दृष्टि से यह विक्रयपत्र कराया है ।

यह तर्क दिया गया कि तहसीलदार, दतिया द्वारा दिनांक 3–10–74 को प्रश्नाधीन भूमि 382/2 शासकीय होने के संबंध में प्रतिवेदन पेश किया गया जिस पर प्रकरण अपर आयुक्त के न्यायालय तक आया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–8–75 को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । प्रकरण प्रत्यावर्तित उपरांत वापिस प्राप्त होने पर कलेक्टर, दतिया

द्वारा मन्नीलाल सेठ के पक्ष में आदेश पारित किया परंतु उनके द्वारा कागजों में अमल नहीं कराया गया ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदकों के पिता मघनमल द्वारा मन्नीलाल से लिए गए कर्ज की राशि मन्नीलाल को अदा कर देने पर मघनमल की सहमति से दिनांक 1–3–88 को दो विक्रयपत्र निष्पादित हुए । चूंकि 1–3–88 को प्रश्नाधीन सर्वे नंबर मन्नीलाल के नाम अंकित नहीं हो पाई थी, इस कारण मन्नीलाल ने दिनांक 1–3–88 को ही मघनमल के हक में एक इकरारनामा निष्पादित किया जिसके अनुसार अनावेदकों के स्वत्व को स्वीकार किया गया तथा यह भी स्वीकार किया गया कि विवादित आराजियों से उसके उत्तराधिकारियों का कोई संबंध नहीं है । उक्त भूमि की रजिस्ट्री बाद में करा दी जायेगी ।

यह तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर निरंतर अनावेदकों का ही कब्जा रहा है । आवेदकों का या उनके पिता का कभी कोई कब्जा नहीं रहा । वर्ष 1998 में तहसीलदार द्वारा आवेदक को अतिक्रमण का नोटिस दिया गया जिसका उत्तर अनावेदकों ने प्रस्तुत किया । तदुपरांत तहसीलदार ने आदेश दिनांक 20–4–98 द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया गया । तहसीलदार के आदेश की शिकायत आवेदकों ने कलेक्टर को की जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लिया साथ ही उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील भी की जिसे कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने के कारण स्थगित करा लिया । स्वमेव निगरानी की कार्यवाही कलेक्टर ने निरस्त की जिसके विरूद्ध आवेदकों ने राजस्व मंडल में निगरानी पेश की । राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 10–1–07 को आदेश पारित करते हुए आवेदकों की निगरानी निरस्त की तथा तहसीलदार एवं कलेक्टर के आदेशों की पुष्टि की ।

यह तर्क दिया गया है कि तहसीलदार द्वारा 20–4–98 को पारित आदेश के विरूद्ध चले स्वमेव निगरानी के प्रकरण में जो राजस्व मंडल तक चला है । राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी क्रमांक 1960–एक/05 आवेदकों ने पेश की थी, जिसमें राजस्व मंडल ने दिनांक 10–1–2007 को प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों की विस्तृत विवेचना करते हुए तथा तहसीलदार के 20–4–98 के आदेश की वैधानिकता पर भी विचार करते हुये आदेश पारित किया जाकर तहसीलदार एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की जाकर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की गई है । राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 10–1–2007 को पारित आदेश को कोई चुनौती आवेदकों द्वारा वरिष्ठ न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय में नहीं दी गई है, इस कारण उक्त आदेश अंतिम हो गया है । अतः राजस्व मंडल द्वारा आदेश पारित करने के उपरांत किसी भी निम्न न्यायालय को उसे अनदेखा करने का अधिकार नहीं है

और ना ही तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–4–98 की वैधानिकता पर विचार करने का अधिकार है ।

यह तर्क दिया गया कि राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश के उपरांत 5 वर्ष तक अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । राजस्व मंडल के आदेश को छिपाते हुए दिनांक 26–3–2012 को आवेदकों की ओर से इस आशय का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अब कोई प्रकरण किसी न्यायालय में लंबित नहीं हैं और आवेदकगण सभी न्यायालय में सफल हुए हैं अतः उक्त अपील को नंबर पर लिये जाने की कृपा करें । जब उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय से सूचनापत्र प्राप्त हुआ तब उनकी ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश की जानकारी दी गई तथा उक्त आदेश के आधार पर अपील को निरस्त करने का अनुरोध किया गया परंतु अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों को पूरी तरह अनदेखा करते हुए मनमाने तरीके से तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर आवेदकों का नाम दर्ज करने का आदेश दिया है जो पूरी तरह अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण है ।

यह भी तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य थी जिसे उन्हें राजस्व मंडल के आदेश के प्रकाश में निरस्त करना चाहिए था परंतु उनके द्वारा ऐसा न करते हुए अपील को स्वीकार कर आवेदकों का नाम दर्ज करने के आदेश देने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है ।

यह कहा गया कि जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, उक्त आदेश भी विधि विरूद्ध है, उन्होंने भी राजस्व मंडल के आदेश को अनदेखा कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है जबकि उन्हें प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं है । उक्त आधारों पर अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी निरस्त करने के साथ–साथ अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को भी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख में राजस्व मंडल द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 1960–एक/05 में पारित आदेश दिनांक 10–1–2007 की प्रति संलग्न है । इसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 20–4–98 को पारित आदेश को कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया गया परंतु उभयपक्ष को सुनने के उपरांत उन्होंने स्वमेव निगरानी की कार्यवाही निरस्त की । कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध आवेदकों द्वारा इस न्यायालय में उक्त

निगरानी पेश की गई जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10–1–2007 को आदेश पारित किया गया है । इस न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसमें प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया जाकर तहसीलदार एवं कलेक्टर के आदेशों की पुष्टि की गई है तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी निरस्त की गई है । राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश को कोई चुनौती आवेदकों द्वारा वरिष्ठ न्यायालय (माननीय उच्च न्यायालय) में नहीं दिए जाने के कारण उक्त आदेश अंतिम हो चुका है और पक्षकारों के साथ–साथ वह निम्न न्यायालयों पर भी बंधनकारी है ।

6/ अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश के उपरांत 5 वर्ष तक अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । राजस्व मंडल के आदेश को छिपाते हुए दिनांक 26–3–2012 को आवेदकों की ओर से इस आशय का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अब कोई प्रकरण किसी न्यायालय में लंबित नहीं हैं और आवेदकगण सभी न्यायालय में सफल हुए हैं अतः उक्त अपील को नंबर पर लिये जाने की कृपा करें । आवेदन के साथ आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जो सूची पेश की गई है उसमें अन्य प्रकरणों का तो उल्लेख किया गया है परंतु राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–1–2007 का कोई उल्लेख नहीं है, इससे स्पष्ट है कि वह न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं गया है । बाद में अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत जबाव के साथ राजस्व मंडल की प्रति उनके द्वारा पेश की गई है, जिसका उल्लेख अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में किया तो है परंतु राजस्व मंडल के आदेश के अनुरूप प्रकरण का निराकरण नहीं किया है तथा उन्होंने राजस्व मंडल के आदेश को पूरी तरह अनदेखा किया है, राजस्व मंडल का आदेश क्योंकर मान्य नहीं है, इसका कोई उल्लेख उनके आदेश में नहीं है । राजस्व मंडल के आदेश के उपरांत आवेदकों की ओर से तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–4–98 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर विचार करने का कोई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं था और उन्हें उक्त अपील राजस्व मंडल के आदेश के आधार पर निरस्त करना चाहिए थी जो न करना यह दर्शाता है कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के रूप में मिले अधिकारों का मनमाने तरीके से उपयोग किया गया है । अतः उनके द्वारा पारित आदेश किसी भी दृष्टि से पुष्टि योग्य नहीं है ।

7/ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–98 के संबंध में यह लेख किया है कि

तहसीलदार ने बिना विवेचना किए अनावेदकों को भूमिस्वामी स्वत्व दे दिये जबकि संहिता की धारा 168 का उल्लंघन प्रमाणित नहीं होता है, भूमिस्वामी को प्रतिफल दिया जाना आदि भी प्रमाणित नहीं होता है । इस संबंध में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इन बिंदुओं के संबंध में भी राजस्व मंडल ने अपने आदेश दिनांक 20–1–07 में स्पष्ट विवेचना की है । राजस्व मंडल ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि कि विवादित भूमि को क्रय किए जाने का अनुबंध मघनमल द्वारा रावराजा जसवंत सिंह से 9–1–1958 को हुआ था और इस हेतु संपूर्ण प्रतिफल अदा करने को उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने आवेदकों के पिता मन्नीलाल से कुछ पैसे उधार लेकर मन्नीलाल के पक्ष में रूपयों की सुरक्षा की दृष्टि से दिनांक 13–8–62 को विक्रयपत्र करा दिया, इसका उल्लेख विक्रयपत्र में है । इसी दिनांक को मघनमल एवं मन्नीलाल के मध्य हुआ है इसमें मन्नीलाल द्वारा यह लेख किया गया है कि मघनमल द्वारा ली गई राशि वापिस लौटाने पर वह उसके अनुसार बैनामा कर देगा राजस्व मंडल द्वारा मन्नीलाल की स्थिति डॉमीनेटिंग की माना है । राजस्व मंडल ने अपने आदेश में यह भी निष्कर्ष निकाला है कि मन्नीलाल द्वारा दिनांक 1–3–88 प्रश्नाधीन भूमि को छोड़कर शेष भूमि का विक्रयपत्र किया है जिनमें वर्ष 1962 के विक्रयपत्र का उल्लेख है । जो विक्रयपत्र दिनांक 1–3–88 को हुए हैं उसमें आवेदक आंनदप्रकाश स्वयं साक्षी है । इसी दिनांक को मन्नीलाल एवं मघनमल के बीच एक अनुबंध हुआ है जिसमें यह उल्लिखित है कि मन्नीलाल ने उक्त भूमि के पेटे भी सारी रकम प्राप्त करली है, अनुबंध में मन्नीलाल द्वारा यह भी कहा गया है कि उसका तथा उसके वारिसान का विवादित आराजी में कोई स्वत्व व अधिकार नहीं है । राजस्व मंडल ने अपने आदेश में अभिलेख तथा आवेदकों के पिता के कथनों के आधार पर यह भी पाया है कि विवादित भूमि पर अनावेदक एवं उसके पिता का कब्जा मालिक की हैसियत से 30 वर्षों से चला आ रहा है । राजस्व मंडल ने संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व से अनावेदकों के पिता का कब्जा होने के आधार पर उसे भूमिस्वामी अधिकार अर्जित होना माना है और इस संबंध में अनेक न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया है । आदेश में न्यायदृष्टांत 1987 आर0एन0 240 को उद्धरित करते हुए यह भी स्पष्ट किया गया है कि संहिता की धारा 190 तथा 110 के तहत भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए जाने की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जा सकती है । राजस्व मंडल के निष्कर्ष के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार की कार्यवाही को अवैधानिक ठहराना किसी भी दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तहसीलदार के 20–4–98 के आदेश में कोई अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है ।

8/ जहां तक अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश का प्रश्न है, उनका आदेश भी राजस्व

मंडल द्वारा पारित आदेश एवं प्रकरण के तथ्यों के प्रकाश में विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि जब एक बार वरिष्ठ न्यायालय द्वारा तहसीलदार के आदेश को पुष्ट किया जा चुका है तब उसी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर विचार करना न्यायसंगत नहीं है । इसके अतिरिक्त उन्हें स्वयं प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करना चाहिए था क्योंकि संहिता की धारा 49 में दिनांक 31–12–11 के द्वारा किए गए संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय न्यायालय को प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं है । अतः उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह भी स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 663/11–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 11–3–15 एवं अनुविभागीय अधिकारी, दतिया द्वारा प्रकरण कमांक 72/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 31–7–12 अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाते हैं ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर